


<p>तारीख हुकम</p>	<p>हुकम या कार्यवाही मये इनिशियल्स जज</p>	<p>नम्बर या अहकाम हुकम की में जा</p>
<p>30-4-21</p>	<p>पत्रावली पेश हुई, अभिभाषकगण द्वारा न्यायिक कार्य स्थगन / बहिष्कार रखने से पत्रावली दिनांक 29.4.21 को पेश हो।</p>	
<p>18-5-21</p>	<p>उभय पक्ष उपस्थित पीठासीन अधिकारी राजकीय कार्य से बाहर है। अवकाश पर है / पदरिक्त है अतः पत्रावली दिनांक 29.4.21 को पेश हो। रीडर उपखण्ड अधिकारी माण्डल</p>	
<p>29-6-21</p>	<p>पत्रावली पेश हुई, अभिभाषकगण द्वारा न्यायिक कार्य स्थगन / बहिष्कार रखने से पत्रावली दिनांक 30.6.21 को पेश हो।</p>	
<p>15-11-21</p>	<p>पत्रावली प्रशासन गाँवों के संग अभियान 2021 ग्राम पंचायत चाखेड़ में पेश हुई, अग्रार्थी गण के सम्मान बाद वापिस लेकर प्राप्त हुए एवं तहसीलदार माण्डल के द्वारा मौका विपरीत प्राप्त हुई जिसे शा.पं पत्रावली किया गया। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर निर्णय पृथक से लिखा जाकर शा.पं किया गया। पत्रावली फैसल सुनार लेकर नम्बर सैकम हो। डॉ. पूजा सक्सेना उपखण्ड अधिकारी माण्डल प्रशासन गाँवों के संग अभियान 2021</p>	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मांडल (भीलवाड़ा)

पीठासीन अधिकारी :- डॉ. पूजा सक्सेना, आर. ए. एस.

प्रशासन गाँवों के संग अभियान 2021

मुकदमा संख्या :- 183/20 प्र/पत्र

1- श्री शिवसिंह श. श्री पुष्पारसिंह बाणसूत निवासी बान्नी तह मांडल --प्राथी

बनाम
1- श्री उदयलाल श. श्री सुरजमल सेन निवासी बान्नी तह मांडल (कारा) --विपक्षीगण
(सुसोनि पापत्र संलग्न)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956

::आदेश::

दिनांक 15-11-21

प्राथी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा. भू.रा. अधिनियम 1956 के तहत प्रस्तुत कर विवेदन किया कि ग्राम.....पटवार हल्का.....तहसील मांडल/में उसके

खाते/संयुक्त खातों की आराजी नं. 966/1, 1123/1, 1406/1, 1430/3 कुल कित्ता 08
कित्ता 90 बीघा हेक्टर 1409, 1410/1, 1411/1, 1438/1 स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण के मध्य आराजी

मुतदाविवा के सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। जिसमें प्राथी अपने खाते संयुक्त खाते की भूमि की पत्थर गद्दी के आदेश प्रदान कराये जावें।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 2-11-21 को पंजीबद्ध किया जाकर प्रकरण को अवलोकनार्थ से यह बात सिद्ध है कि वाद ग्रस्त भूमि प्राथी के खाते एवं कब्जे काश्त की होने से पत्थरगद्दी करने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख में किसी प्रकार की हैरा-फेरी होने का अंदेश नहीं है तथा न किसी प्रकार अधिकार निर्धारित किये जाते हैं। अतः इन तथ्यों को देखते हुये नैसर्गिक की न्यायिक सिद्धान्त के आधार पर आवेदन पत्र प्राथी स्वीकार योग्य है।

:: आदेश ::
प्राथी का प्रार्थना धारा 111-128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम.....

पटवार हल्का.....तहसील मांडल में स्थित आराजी नं. 966/1, 1123/1, 1406/1, 1409, 1410/1, 1430/3 कुल कित्ता 08 रकबा 90 बीघा 0.1 हेक्टर पत्थर

भूमि के चारो तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी किये जाने हेतु पत्थरगद्दी किये जाने का आदेश दिया जाता है। पत्थरगद्दी किये जाने हेतु भू अभिलेख निरीक्षक.....को 2100/-

पर्ये कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस प्राथीगण मौके पर जमा करावें। कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकारान की मौजूदगी में मौके व कब्जे की यथास्थिति को बनाये रखते हुए मुस्तकील

मुद्दु को आधार मानकर पत्थरगद्दी की जावें। फसल खड़ी होने पर पत्थर गद्दी नहीं की जावे।

डॉ. पूजा सक्सेना

उपखण्ड अधिकारी

मांडल, जिला भीलवाड़ा

प्रशासन गाँवों के संग अभियान 2021

तिलिपि:- तहसीलदार मांडल को भेजकर लेख है कि प्राथी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार पत्थरगद्दी का कार पालना रिपोर्ट 7 दिवस में प्रस्तुत करें।

उपखण्ड अधिकारी

मांडल, जिला भीलवाड़ा

प्रशासन गाँवों के संग अभियान 2021